

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या ११/2023(GCMS : 2023/165)

एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री कैलाश शर्मा, जिसका पंजीकृत कार्यालय - एच.डी.एफ.सी. बैंक हाउस, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 तथा शाखा कार्यालय प्लॉट संख्या 30, ई ब्लॉक, गोशाला रोड़, एनएच-15, श्रीगंगानगर, राजस्थान में स्थित व कार्यरत है।

बनाम

1. मैसर्स चौधरी ब्रदर्स जरिये प्रो. अमनदीप तरार पता 151 न्यू धान यार्ड, श्रीगंगानगर राजस्थान - 335001
2. श्री अमनदीप तरार पुत्र ओम प्रकाश, पता 151 न्यू धान मण्डी, श्रीगंगानगर राजस्थान-335001
3. श्री ओम प्रकाश तरार पुत्र श्री गोपीराम, पता वार्ड नं. 5, सादुलशहर, श्रीगंगानगर राजस्थान-335001
4. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री अमनदीप तरार पता वार्ड नं. 5, सादुलशहर, श्रीगंगानगर राजस्थान-335001
5. श्रीमती निर्मला ओम प्रकाश पत्नी श्री ओम प्रकाश वार्ड नं. 5, सादुलशहर, श्रीगंगानगर राजस्थान-335001
6. सी.जी.आर. कोलेटरल मैनेजमेन्ट लि. पता 28/3,4,5 प्रथम तल, गांधी चौक, गोल बाजार, श्रीगंगानगर-335001
अन्य पता
सी.जी.आर. कोलेटरल लि. पता 205-206, द्वितीय तल, प्रकाश दीप कॉम्प्लेक्स, मयंक ट्रेड सेन्टर के पास, स्टेशन रोड़, जयपुर 302001, राजस्थान
7. मैसर्स चौधरी एग्रो फूड जरिये प्रोपराईटर श्रीमती सुनीता पता 151 न्यू धान मण्डी, श्रीगंगानगर राजस्थान-335001
अन्य पता
मैसर्स चौधरी एग्रो फूड जरिये प्रोपराईटर श्रीमती सुनीता पता 3-एच-16, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर, राजस्थान-335001



08.08.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री महोदय प्रसाद मिठा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स चौधरी ब्रदर्स, अमनदीप तरार, ओम प्रकाश

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

तरार, सुनीता, निर्मला ओम प्रकाश, सीजीआर, कोलेटरल, मैसर्स चौधरी एग्री फूड को ऋण सुविधा के रूप में राशि 13.39/- करोड़ रुपये (अखरे रुपये तेरह करोड़ उन्नतालीस लाख मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। ऋण की सुझा की एवज में अप्रार्थी अमनदीप तरार द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति 1. नोहरा संख्या 29, (क्षेत्रफल 1505 वर्गफीट) पुराना वार्ड संख्या 05, नया वार्ड संख्या 9, सादुलशहर श्रीगंगानगर राजस्थान-335062, 2. नोहरा संख्या 28(क्षेत्रफल 735 वर्गफीट), पुराना वार्ड संख्या 5, नया वार्ड संख्या 9, सादुलशहर, श्रीगंगानगर राजस्थान-335062, 3. 3-एच-16, जवाहर नगर, (क्षेत्रफल 209.62 वर्ग मीटर) श्रीगंगानगर राजस्थान, 4. शॉप संख्या 151 के पीछे(क्षेत्रफल 81.32 वर्ग मीटर), कृषि उपज मण्डी, श्रीगंगानगर राजस्थान 5. प्लॉट संख्या 28, 28/3-4, 28/4-5 एवं 25/5 गोल बाजार, (क्षेत्रफल 1034.36 वर्गफीट) श्रीगंगानगर राजस्थान 6. शॉप संख्या 151 कृषि उपज मण्डी, न्यू धान मण्डी, (क्षेत्रफल 302.04 वर्ग मीटर) ब्लॉक संख्या 02, श्रीगंगानगर राजस्थान 7. किला संख्या 3/2 स्क्वायर संख्या 16 चॉक 6 ई छोटी(क्षेत्रफल 1113.75 वर्गगज), सेक्टर 7 के सामने, जवाहर नगर , श्रीगंगानगर राजस्थान, 8. किला संख्या 18, 23 स्क्वायर संख्या -64(क्षेत्रफल 132'-6'' गुणा 70'-0''), चॉक 2-एमआई, सी.जी.आर., सिटी कॉलोनी, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर , ओम प्रकाश तरार की बंधक रखी सम्पत्ति शॉप संख्या 26 बी (दक्षिण का भाग), पुरानी धान मण्डी, सादुलशहर, श्रीगंगानगर राजस्थान एवं सुनीता चौधरी की बंधक रखी सम्पत्ति 26/40, तीसरा ब्लॉक कृषि उपज मण्डी, (क्षेत्रफल 40.25 वर्ग मीटर) श्रीगंगानगर, राजस्थान, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैंने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स चौधरी ब्रदर्स, अमनदीप तरार, ओम प्रकाश तरार, सुनीता, निर्मला ओम प्रकाश, सीजीआर, कोलेटरल, मैसर्स चौधरी एग्री फूड को कुल 13.39/- करोड़ रुपये (अखरे रुपये तेरह लाख उन्नतलिस लाख मात्र) के

ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 19.08.2017 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी अमनदीप तरार ने अपनी अचल सम्पत्ति 1. नोहरा संख्या 29, (क्षेत्रफल 1505 वर्गफीट) पुराना वार्ड संख्या 05, नया वार्ड संख्या 9, सादुलशहर श्रीगंगानगर राजस्थान-335062, 2. नोहरा संख्या 28(क्षेत्रफल 735 वर्गफीट), पुराना वार्ड संख्या 5, नया वार्ड संख्या 9, सादुलशहर, श्रीगंगानगर राजस्थान-335062, 3. 3-एच-16, जवाहर नगर, (क्षेत्रफल 209.62 वर्ग मीटर) श्रीगंगानगर राजस्थान, 4. शॉप संख्या 151 के पीछे(क्षेत्रफल 81.32 वर्ग मीटर), कृषि उपज मण्डी, श्रीगंगानगर राजस्थान 5. प्लॉट संख्या 28, 28/3-4, 28/4-5 एवं 25/5 गोल बाजार, (क्षेत्रफल 1034.36 वर्गफीट) श्रीगंगानगर राजस्थान 6. शॉप संख्या 151 कृषि उपज मण्डी, न्यू धान मण्डी, (क्षेत्रफल 302.04 वर्ग मीटर) ब्लॉक संख्या 02, श्रीगंगानगर राजस्थान 7. किला संख्या 3/2 स्क्वायर संख्या 16 चॉक 6 ई छोटी(क्षेत्रफल 1113.75 वर्गगज), सेक्टर 7 के सामने, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर राजस्थान, 8. किला संख्या 18, 23 स्क्वायर संख्या -64(क्षेत्रफल 132'-6" गुणा 70'-0"), चॉक 2-एमआई, सी.जी.आर., सिटी कॉलोनी, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर, ओम प्रकाश तरार ने अपनी अचल सम्पत्ति शॉप संख्या 26 बी (दक्षिण का भाग), पुरानी धान मण्डी, सादुलशहर, श्रीगंगानगर राजस्थान एवं सुनीता चौधरी ने अपनी अचल सम्पत्ति 26/40, तीसरा ब्लॉक कृषि उपज मण्डी, (क्षेत्रफल 40.25 वर्ग मीटर) श्रीगंगानगर, राजस्थान प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 05.11.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 19.06.2020 को जारी कर दिनांक 22.06.2020 को ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है। धारा 13(2) नोटिस अप्रार्थीगण को भिजवाने की पोस्ट ऑफिस रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री बंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी अमनदीप तरार की अचल सम्पत्ति 1. नोहरा संख्या 29, (क्षेत्रफल 1505 वर्गफीट) पुराना वार्ड संख्या 05, नया वार्ड संख्या 9, सादुलशहर श्रीगंगानगर राजस्थान-335062, 2. नोहरा संख्या 28(क्षेत्रफल 735 वर्गफीट), पुराना वार्ड संख्या 5, नया वार्ड संख्या 9, सादुलशहर, श्रीगंगानगर राजस्थान-335062, 3. 3-एच-16, जवाहर नगर, (क्षेत्रफल 209.62 वर्ग मीटर) श्रीगंगानगर राजस्थान, 4. शॉप संख्या 151 के पीछे(क्षेत्रफल 81.32 वर्ग मीटर), कृषि उपज मण्डी, श्रीगंगानगर राजस्थान 5. प्लॉट संख्या 28, 28/3-4, 28/4-5 एवं 25/5 गोल बाजार, (क्षेत्रफल 1034.36 वर्गफीट) श्रीगंगानगर राजस्थान 6. शॉप संख्या 151 कृषि उपज मण्डी, न्यू धान मण्डी, (क्षेत्रफल 302.04 वर्ग मीटर) ब्लॉक संख्या 02, श्रीगंगानगर राजस्थान 7. किला संख्या 3/2 स्क्वायर संख्या 16 चॉक 6 ई छोटी(क्षेत्रफल 1113.75 वर्गगज), सेक्टर 7 के सामने, जवाहर नगर , श्रीगंगानगर राजस्थान, 8. किला संख्या 18, 23 स्क्वायर संख्या -64(क्षेत्रफल 132'-6" गुणा 70'-0"), चॉक 2-एमआई, सी.जी.आर., सिटी कॉलोनी, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर , ओम प्रकाश तरार की अचल सम्पत्ति शॉप संख्या 26 बी (दक्षिण का भाग), पुरानी धान मण्डी, सादुलशहर, श्रीगंगानगर राजस्थान एवं सुनीता चौधरी की अचल सम्पत्ति 26/40, तीसरा ब्लॉक कृषि उपज मण्डी, (क्षेत्रफल 40.25 वर्ग मीटर) श्रीगंगानगर, राजस्थान जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 19.06.2020 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 19.06.2020 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस पर अप्रार्थीगण दिनांक 22.06.2020 को ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण के धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है

जिला मजिस्ट्रेट
श्री बंधानगर


और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणियों अमनदीप तरार, ओम प्रकाश तरार एवं सुनीता चौधरी के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण ऋणियों अमनदीप तरार(सम्पत्ति संख्या 1 से 8), ओम प्रकाश तरार(सम्पत्ति संख्या 9) एवं सुनीता चौधरी (सम्पत्ति संख्या 10) द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति 1. नोहरा संख्या 29, (क्षेत्रफल 1505 वर्गफीट) पुराना वार्ड संख्या 05, नया वार्ड संख्या 9, सादुलशहर श्रीगंगानगर राजस्थान-335062, 2. नोहरा संख्या 28(क्षेत्रफल 735 वर्गफीट), पुराना वार्ड संख्या 5, नया वार्ड संख्या 9, सादुलशहर, श्रीगंगानगर राजस्थान-335062, 3. 3-एच-16, जवाहर नगर, (क्षेत्रफल 209.62 वर्ग मीटर) श्रीगंगानगर राजस्थान, 4. शॉप संख्या 151 के पीछे(क्षेत्रफल 81.32 वर्ग मीटर), कृषि उपज मण्डी, श्रीगंगानगर राजस्थान 5. प्लॉट संख्या 28, 28/3-4, 28/4-5 एवं 25/5 गोल बाजार, (क्षेत्रफल 1034.36 वर्गफीट) श्रीगंगानगर राजस्थान 6. शॉप संख्या 151 कृषि उपज मण्डी, न्यू धान मण्डी, (क्षेत्रफल 302.04 वर्ग मीटर) ब्लॉक संख्या 02, श्रीगंगानगर राजस्थान 7. किला संख्या 3/2 स्क्वायर संख्या 16 चॉक 6 ई छोटी(क्षेत्रफल 1113.75 वर्गगज), सेक्टर 7 के सामने, जवाहर नगर , श्रीगंगानगर राजस्थान, 8. किला संख्या 18, 23 स्क्वायर संख्या -64(क्षेत्रफल 132'-6" गुणा 70'-0"), चॉक 2-एमआई, सी.जी.आर., सिटी कॉलोनी, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर , 9. शॉप संख्या 26 बी (दक्षिण का भाग), पुरानी धान मण्डी, सादुलशहर, श्रीगंगानगर राजस्थान एवं 10. 26/40, तीसरा ब्लॉक कृषि उपज मण्डी, (क्षेत्रफल 40.25 वर्ग मीटर) श्रीगंगानगर, राजस्थान का भौतिक कब्जा जरिये


जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर